भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 582
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई 2026

निजी ऑपरेटरों द्वारा भारतनेट फाइबर का दुरूपयोग

582. श्री देवेश शाक्य:
सुश्री इकरा चौधरी:
श्री लालजी वर्मा:
श्री नीरज मौर्य:
श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें निजी डेटा ऑपरेटरों द्वारा भारतनेट फाइबर के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी इसके लाभों से वंचित हो रही है;
(ख) क्या अवसंरचना के प्रभावी ढंग से संचालन और अनुरक्षण क्षमता को पूरा करने के लिए भारतनेट उद्यमी मॉडल के अंतर्गत स्थानीय उद्यमियों को प्रदान किया जाने वाला कमीशन और तकनीकी सहायता अपर्याप्त है;
(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में भारतनेट के माध्यम से 5जी एकीकरण की योजनाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई है; और
(घ) क्या सरकार का अगले 36 महीनों के भीतर 100 प्रतिशत सक्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा स्तर पर एक डिजिटल ऑडिट और सार्वजनिक जवाबदेही प्रणाली स्थापित करने का विचार है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) संशोधित भारतनेट परियोजना (एबीपी) के अंतर्गत, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की रीयल टाइम निगरानी के लिए रिमोर्ट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएफएमएस) कार्यान्वित किया गया है ताकि भारतनेट फाइबर के अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके।

(ख) भारतनेट उद्यमी (बीएनयू) मॉडल के अंतर्गत, ग्राम पंचायत से घरों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने और उनके अनुरक्षण के लिए स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक उपयुक्त राजस्व साझेदारी व्यवस्था शामिल किया गया है। इसके अलावा, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए बीएनयू को उनकी सभी आवश्यकताओं हेतु पूर्ण रूप से एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया है।

(ग) संशोधित भारतनेट परियोजना के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश सहित) के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शनों का प्रावधान किया गया है, जिसमें सरकारी विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को कवर करने की प्राथमिकता दी गई है।

(घ) संशोधित भारतनेट परियोजना के अंतर्गत, ग्राम सभा स्तर पर ऐसे किसी व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
